कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755&2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 1323

भोपाल, दिनांक 22 / 04 / 2025

प्रति,

समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश

विषय :– वनोपज काष्ठागारों के नीलामों में सीधी बिक्री पद्धति को पुर्नजीवित करने बावत्।

संदर्भ :–1. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक / FOR/5/0002/2025-Sec-3-10(FOR)/95, दिनांक 21.04.2025

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक / निर्वर्तन / 2002 / 4355, दिनांक 30.11.2002 एवं पत्र क्रमांक / निर्वर्तन / 748, दिनांक 18.02.2003

––::00::––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। उक्त पत्र में **एजेण्डा क्रमांक–3** के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा विक्रय डिपो से किसी लॉट का प्रथम नीलाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर सीधे बिक्री किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। सीधी बिक्री प्रक्रिया के संबंध में पृथक से निर्देश दिये जायेंगे। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एच. यू. खान) 22/4/25
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 1324

भोपाल, दिनांक 22 / 04 / 2025

प्रतिलिपि :– पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक FOR/5/0002/2025-Sec-3-10(FOR)/95 भोपाल, दिनॉक: 21/04/2025

प्रति,

सचिव,
वनोपज अंतर्विभागीय समिति,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– वर्ष 2024–25 में उत्पादित होने वाले औद्योगिक बांसो का ई–टेण्डरिंग द्वारा निर्वर्तन, वनोपज काष्ठागारों के नीलामों में सीधी बिक्री पद्धति को पुर्नजीवित करने एवं संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन हेतु ऑनलाईन निविदा दिनांक 11.03.2025 में प्राप्त दरों के अनुमोदन हेतु In Circulation अनुमति बावत।

विषयांतर्गत वर्ष 2024–25 में उत्पादित होने वाले औद्योगिक बांसो का ई–टेण्डरिंग द्वारा निर्वर्तन, वनोपज काष्ठागारों के नीलामों में सीधी बिक्री पद्धति को पुर्नजीवित करने एवं संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन हेतु ऑनलाईन निविदा दिनांक 11.03.2025 में प्राप्त दरों के प्रस्ताव पर अंतर्विभागीय समिति के 1975 में जारी कार्य संचालन नियम के तहत In Circulation अनुमति प्रदान की गई है जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है। (विभाग के भारसाधक मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित)

<u>संलग्नः उपरोक्तानुसार</u>

(अतुल कुमार मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक FOR/5/0002/2025-Sec-3-10(FOR)/96 भोपाल, दिनॉक: 21/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश. भोपाल
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास), सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल

<u>संलग्नः उपरोक्तानुसार</u>

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वर्ष 2024–25 में उत्पादित होने वाले औद्योगिक बांसो का ई–टेण्डरिंग द्वारा निर्वर्तन एवं वनोपज काष्ठागारों के नीलामों में सीधी बिकी पद्धति को पुर्नजीवित करने एवं संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन हेतु ऑनलाईन निविदा दिनांक 11.03.2025 में प्राप्त दरों के अनुमोदन हेतु In Circulation अनुमोदन का कार्यवाही विवरण

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की 481वीं बैठक निकट भविष्य में संभावित नहीं है। अतः वर्ष 2024–25 में उत्पादित होने वाले औद्योगिक बांसो का ई–टेण्डरिंग द्वारा निर्वर्तन, वनोपज काष्ठागारों के नीलामों में सीधी बिकी पद्धति को पुर्नजीवित करने एवं संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन हेतु ऑनलाईन निविदा दिनांक 11.03.2025 में प्राप्त दरों के प्रस्ताव पर वनोपज अन्तर्विभागीय समिति के 1975 में जारी कार्य संचालन नियम 10 के तहत निम्नानुसार In circulation अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

एजेण्डा कमांक 1– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश कमांक/समिति/449/05 दिनांक 19.02.2020 द्वारा निर्णय लिया गया है कि द्वितीय निविदा में प्राप्त अवरोध मूल्य या इससे अधिक दरों से संबंधित लॉट की स्वीकृति संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा दी जायेगी तथा शेष लॉटों के लिये जो दरें प्राप्त हुई है, उस पर निर्णय हेतु प्रस्ताव वनोपज अंतर्विभागीय समिति के समक्ष रखा जायेगा।

उत्तर बालाघाट उत्पादने वनमंडल में द्वितीय ई–निविदा दिनांक 20.02.2025 में औद्योगिक बांस लॉट BG-01 एवं BG-02 हेतु प्राप्त निविदा की दरें अवरोध मूल्य से कमशः लगभग 8.29 एवं 7.93 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई है। लॉट BG-01 हेतु एक ही निविदाकर मेसर्स आशीष ट्रेडिंग कंपनी आमगांव, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है।

लॉट BG-02 हेतु दो निविदा प्राप्त हुई जिससे मेसर्स आशीष ट्रेडिंग कंपनी आमगांव, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) द्वारा दूसरे निविदाकार से अधिक मूल्य से बोली लगाई गई। विवरण निम्नानुसार हैः–

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	लॉट कमांक	अनुमानित मात्रा (वि.ई.)	अवरोध दर	प्राप्त मूल्य	निविदाकार का नाम
1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	उत्तर बालाघाट उत्पादन	BG-01	672.703	5486	5031	मेसर्स आशीष ट्रेडिंग कंपनी आमगांव, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)
		BG-02	813.223	5486	5051	

निविदा समिति द्वारा लॉट BG-01 एवं BG-02 की प्राप्त उक्त निविदा दरें जो अवरोध मूल्य से कमशः लगभग 8.29 एवं 7.93 प्रतिशत कम हैं को स्वीकृति किए जाने की अनुशंसा की गयी है।

अतः द्वितीय निविदा होने के कारण प्राप्त निविदा दरें अवरोध मूल्य से कम होने के बावजूद भी उत्तर बालाघाट उत्पादन वनमंडल में ई–निविदा दिनांक 20.02.2025 में औद्योगिक बांस लॉट BG-01 एवं BG-02 के उपरोक्त प्राप्त निविदा दरों की स्वीकृति जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

एजेण्डा कमांक–2:: बैतूल उत्पादन वनमंडल में द्वितीय ई–निविदा दिनांक 24.02.2025 में औद्योगिक बांस लॉट BT-1 हेतु प्राप्त निविदा की दरें अवरोध मूल्य से लगभग 9.44 प्रतिशत कम है तथा उक्त लॉट हेतु एक ही निविदाकर मेसर्स गिरधर ट्रेडिंग कम्पनी, लॉजी भिरिया, जिला–बालाघाट द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई। विवरण निम्नानुसार है –

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	लॉट कमांक	अनुमानित मात्रा (वि.ई.)	अवरोध दर	प्राप्त मूल्य	निविदाकार का नाम
1	2	3	4	5	6	7
बैतूल	बैतूल उत्पादन	BT-1	125.059	4800	4347	मेसर्स गिरधर ट्रेडिंग कम्पनी, लॉजी भिरिया, जिला बालाघाट

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश कमांक/समिति/449/05 दिनांक 19.02.2020 द्वारा निर्णय लिया गया है कि द्वितीय निविदा में प्राप्त अवरोध मूल्य या इससे अधिक दरों से संबंधित लॉट की स्वीकृति संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा दी जायेगी तथा शेष लॉटों के लिये जो दरें प्राप्त हुई है, उस पर निर्णय हेतु प्रस्ताव वनोपज अंतर्विभागीय समिति के समक्ष रखा जायेगा।

निविदा समिति द्वारा लॉट BT-1 की प्राप्त उक्त निविदा दर जो अवरोध मूल्य से लगभग 9.44 प्रतिशत कम है, को स्वीकृति किए जाने हेतु अनुशंसा की गयी है

अतः द्वितीय निविदा होने के कारण प्राप्त निविदा दरें अवरोध मूल्य से कम होने के बावजूद भी बैतूल उत्पादन वनमंडल में ई–निविदा दिनांक 24.02.2025 में औद्योगिक बांस लॉट BT-01 के उपरोक्त प्राप्त निविदा की दर की स्वीकृति जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

<u>एजेण्डा कमांक 3</u> – मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश कमांक/समिति/11/2002/974 दिनांक 23.11.2002 के बिन्दु कमा क 14.2 – अवरोध दर पर ईमारती लकड़ी का प्रदाय अनुसार लेख किया गया है कि "विकय डिपो से किसी लॉट का प्रथम नीलाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर विकय डिपो से सीधी बिकी की जा सकती है। विकय डिपो से लॉट के सीधी बिकी के संबंध में प्रकिया का निर्धारण करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को अधिकृत किया गया।" उक्त के अनुकम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र कमांक 4355 दिनांक 30.11.2002 से उक्त व्यवस्था कियान्वित करने के लिये प्रकिया निर्धारित की गयी एवं अपसेट प्राईज पर ऑफर स्वीकार करने की प्रकिया के संबंध में पत्र कमांक/निर्वर्तन/748 दिनांक 18.02.2003 से स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। तदोपरांत पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र कमांक/समिति/05/2005/2552 दिनांक 24.05.2005 से सीधी बिकी की उक्त प्रकिया को निरस्त करने हेतु आदेश जारी किया गया।

माह मार्च में प्रदेश के विभिन्न काष्ठागारों में अविकित वनोपज का भण्डारण लगभग 58642 लॉट्स अविकित है जिनका अपसेट प्राईज लगभग 911 करोड़ है तथा विगत वर्ष माह मार्च में 35025 लॉट्स अविकित थे जिनका अपसेट प्राईज लगभग 457 करोड़ था। अर्थात वर्तमान वर्ष में विगत वर्ष से लगभग दुगुने अधिक अवरोध मूल्य व दुगुनी संख्या में लॉट्स अविकित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन को राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है–

विक्रय डिपो से किसी लॉट का प्रथम नीलाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर विक्रय डिपो से सीधे भी बिक्री की जावे। प्रथम नीलामी में बोली मान्य हुये लॉट को यदि बोलीदार नही उठाता है तो ऐसे लॉट को पुनः नीलामी में ही रखा जावे। जिसकी प्रक्रिया निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य संरक्षक (उत्पादन) को अधिकृत किया जाता है।

<u>एजेण्डा कमांक–4</u>:: प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के पत्र कमांक 2976 दिनांक 18.03.2025 से प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। वर्ष 2025 संग्रहण काल में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते का अग्रिम निर्वर्तन Online निविदा द्वारा किया जा रहा है। इसके लिये पूर्व वर्ष अनुसार संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जाकर इसका परिदान अग्रिम निर्वर्तन में नियुक्त केताओं को देने की व्यवस्था है।

अग्रिम निर्वर्तन में प्रदेश के तेंदूपत्ता उत्पादक क्षेत्रों में बनाये गये 935 लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.77 लाख मानक बोरा के निर्वर्तन हेतु तीन चकों (दिनांक 10.01.2025, 07.02.2025 एवं 28.02.2025) में निविदायें आमंत्रित की गई है। इस हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु मध्यप्रदेश माध्यम को संघ द्वारा लेख किया गया। समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन के अतिरिक्त इंटरनेट पर भी संघ की वेबसाइट के माध्यम से इस निविदा का प्रचार–प्रसार किया गया।

प्रथम चक की निविदा में 432 लाटों की 9.07 लाख मानक बोरा एवं द्वितीय चक की निविदा में 154 लाटों की 2.84 लाख मानक बोरा मात्रा (कुल 586 लाटो की 11.91 लाख मानक बोरा)

तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन के आदेश जारी किए जा चुके है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि शेष लाटों के विकय के लिए पुनः निविदा बुलाई जावे।

शेष 349 लाटों की मात्रा 4.86 लाख मानक बोरा के लिये निविदा सूचना में वर्णित शर्तो के आधार पर तृतीय चक हेतु दिनांक 11.03.2025 तक Online प्राप्त निविदायें दिनांक 11.03.2025 को अपरान्ह 03.30 बजे निविदा खोलने हेतु गठित समिति द्वारा Online निविदायें खोली गई। उक्त निविदा सूचना के तारतम्य में कुल 159 निविदाकारों द्वारा निविदायें प्रस्तुत की गयी। उक्त निविदा सूचना के तारतम्य में कुल 159 निविदाकारों द्वारा निविदायें प्रस्तुत की गयी, जिनकी जॉच कर संघ स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा एवं विश्लेषण से संबंधित आंकड़े संलग्न प्रपत्र–एक एवं प्रपत्र–दो पर व्यवस्थित है।

यह तृतीय चक की निविदा है। 349 लॉटों की 4.86 लाख मानक बोरा में से 316 लॉटों की 4.68 लाख मानक बोरा का ही दर प्राप्त हुआ है एवं प्राप्त दर अवरोध मूल्य से काफी कम है। यदि अवरोध मूल्य को ध्यान में रखकर विकय किया जावेगा तो विकय होने की संभावना नहीं के बराबर है।

पंचम श्रेणी के लॉटों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है एवं विगत वर्षो में इस श्रेणी के लॉटों को 2500 रूपये प्रति मानक बोरा से भी कम में विकय किया गया है। अतः इस तृतीय चक की निविदा में लागत मूल्य को ध्यान में रख कर विकय किया जा रहा है।

अतः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लॉटों को लागत मूल्य से अनिम्न दर पर मान्य किया जावे। पंचम श्रेणी के लाट को रूपये 4000/– प्रति मानक बोरा से अनिम्न दर पर मान्य किया जावे। आगामी निविदाओं में इन लाटों के लिए इससे अधिक दर आने की संभावना कम है।

प्रपत्र दो में परिदृश्य (च) वह स्थिति है, जिसमें प्राप्त दर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए लागत मूल्य से अनिम्न दर एवं पंचम श्रेणी के लिए रूपये 4000/– से अनिम्न दर है। अतः तृतीय निविदा होने से यह निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है कि परिदृश्य (च) को मान्य किया जाये और शेष लाटों के लिए पुनः निविदा बुलाई जाये। परिदृश्य–च अनुसार स्वीकृति जारी करने एवं आगामी निविदाओं में प्राप्त दरों पर निर्णय लेने हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

सही (डॉ. मोहन यादव) मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश	(अशोक बर्णवाल) अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग	(मनीष रस्तोगी) प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
(राघवेन्द्र कुमार सिंह) प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग	(गुलशन बामरा) प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	(विवेक पोरवाल) प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

वर्ष 2024–25 में उत्पादित होने वाले औद्योगिक बांसो का ई–टेण्डरिंग द्वारा निर्वर्तन एवं वनोपज काष्ठागारों के नीलामों में सीधी बिकी पद्धति को पुर्नजीवित करने बाबत् **In Circulation** अनुमति बाबत् कार्यवाही विवरण

(असीम श्रीवास्तव) प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश	(एच.यू. खान) प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन	(विभाष कुमार ठाकुर) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
(वी.एन.अम्बाड़े) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम	(अतुल कुमार मिश्रा) सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन	(रिपुदमन सिंह भदौरिया) वन संरक्षक / सचिव, वनोपज अंतर्विभागीय समिति

निविदाओं का संक्षिप्त विवरण

संग्रहण वर्ष : 2025

निविदा खोलने का दिनांक : 11/03/2025

प्रपत्र – एक

दिनांक : 18.03.2025

कुल निविदाएं :	159	वैध निविदाएं :	159
कुल ऑफर :	2488	वैध ऑफर :	2488
कुल क्रय क्षमता :	252.67 करोड़	वैध क्रय क्षमता :	252.67 करोड़
कुल लाट	349	मात्रा	485624.000 मानक बोरा
लाट जिनके लिये ऑफर प्राप्त	316	मात्रा	468044.000 मानक बोरा
लाट जिनके लिये ऑफर अप्राप्त	33	मात्रा	17580.000 मानक बोरा

लाटों का ग्रेडवार विवरण

विवरण	विभिन्न ग्रेडों में लाटों की संख्या					लाटों की कुल संख्या
	I	II	III	IV	V	
निविदा में रखे कुल लाट	0	6	25	21	297	349
लाट जिनके लिये ऑफर प्राप्त	0	6	25	21	264	316
लाट जिनके लिये ऑफर अप्राप्त	0	0	0	0	33	33

प्रबंधक (वित्त)
म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ
भोपाल

GITANJALI J.
C.E.O., MFP-PARC, Bhopal

विभाष कुमार ठाकुर
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
भोपाल

अवरोध मूल्य के विभिन्न स्तर पर
आवंटन योग्य लाट

संग्रहण वर्ष : 2025

प्रपत्र – दो

निविदा खोलने की दिनांक : 11/03/2025

दिनांक : 18/03/2025

	लाटों की संख्या	मात्रा (लाख मा.बो. में)	विक्रय मूल्य (रु करोड़ में)	औसत विक्रय दर (रु. प्रति मा.बो. में)		
(क) अवरोध मूल्य से अनिम्न दर ।						
कुल लाटः	4	0.06	3.56	6011.00		
श्रेणीवार	I	II	III	IV	V	Total
निर्वतित लाटः	0	0	3	1	0	4
शेष लाटः	0	6	22	20	297	345
(ख) समस्त श्रेणी के लिये अवरोध मूल्य के 90 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक परन्तु लागत मूल्य से अनिम्न दर						
कुल लाटः	33	0.6	32.26	5396.00		
श्रेणीवार	I	II	III	IV	V	Total
निर्वतित लाटः	0	3	9	8	13	33
शेष लाटः	0	3	16	13	284	316
(ग) समस्त श्रेणी के लिये लागत मूल्य से अनिम्न दर						
कुल लाटः	85	1.58	80.50	5109.00		
श्रेणीवार	I	II	III	IV	V	Total
निर्वतित लाटः	0	6	24	18	37	85
शेष लाटः	0	0	1	3	260	264
(घ) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये लागत मूल्य से अनिम्न एवं पंचम श्रेणी के लिये लागत मूल्य के 90 प्रतिशत से अनिम्न दर।						
कुल लाटः	143	2.43	117.47	4830.00		
श्रेणीवार	I	II	III	IV	V	Total
निर्वतित लाटः	0	6	24	17	96	143
शेष लाटः	0	0	1	4	201	206
(च) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये लागत मूल्य से अनिम्न एवं पंचम श्रेणी के लिये रू. 4000/–से अनिम्न दर ।						
कुल लाटः	176	2.87	134.73	4699.00		
श्रेणीवार	I	II	III	IV	V	Total
निर्वतित लाटः	0	6	24	17	129	176
शेष लाटः	0	0	1	4	168	173

विभाष कुमार ठाकुर
उप संचालक
... वनोपज सहकारी ...

... (वित्त)
... लघु वनोपज संघ
भोपाल

GITANJALI J.
... Bhopal

संग्रहण वर्ष : 2025

निविदा खोलने की दिनांक : 11/03/2025

प्रपत्र – दो

दिनांक : 18/03/2025

लाटों की संख्या	मात्रा (लाख मा.बो. में)	विक्रय मूल्य (रू करोड़ में)	औसत विक्रय दर (रू. प्रति मा.बो. में)

(छ) प्रथम श्रेणी के लिये रू. 5900/–, द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 5500/–, तृतीय श्रेणी के लिये रू. 4600/–, चतुर्थ श्रेणी के लिये रू. 4300/– तथा पंचम श्रेणी के लिये रू. 4000/–से अनिम्न दर ।

कुल लाटः	176	2.81	131.44	4676.00		
श्रेणीवार निर्वतित लाटः	I	II	III	IV	V	Total
	0	3	24	20	129	176
शेष लाटः	0	3	1	1	168	173

(ज) प्रथम श्रेणी के लिये रू. 5000/–, द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 4600/–, तृतीय श्रेणी के लिये रू. 4000/–, चतुर्थ श्रेणी के लिये रू. 3500/– तथा पंचम श्रेणी के लिये रू. 3000/–से अनिम्न दर ।

कुल लाटः	259	3.93	170.72	4344.00		
श्रेणीवार निर्वतित लाटः	I	II	III	IV	V	Total
	0	6	25	21	207	259
शेष लाटः	0	0	0	0	90	90

[illegible]ंधक (वि[illegible])
[illegible] लघु [illegible] संघ
भोपाल

GITANJALI J.
C.E.O., MFP-FARC, Bhopal

विभाष कुमार ठाकुर
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड न. 2, मध्य प्रदेश, भोपाल - 462003

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 2025 / 1380

प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/04/2025

समस्त वनमंडलाधिकारी(क्षेत्रीय / उत्पादन)

मध्यप्रदेश

विषय :- नीलाम में डिपो से अवरोध मूल्य पर ईमारती लकड़ी की सीधी बिक्री।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक / FOR/5/0002/2025-Sec-3-10(FOR)/95, दिनांक 21.04.2025 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 1323, दिनांक 22.04.2025

---::00::---

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित आदेश के द्वारा निर्देशित किया गया है कि" विक्रय डिपो से किसी लॉट का प्रथम नीलाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर विक्रय डिपो से सीधे भी बिक्री की जाय। प्रथम नीलामी में बोली मान्य हुये लॉट को यदि बोलीदार नहीं उठाता है तो ऐसे लॉट को पुनः नीलामी में रखा जाये।"

शासन के निर्णय अनुसार उक्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. प्रत्येक लॉट के लिये निर्धारित अवरोध मूल्य पर डिपो से लॉट का प्रदाय किसी भी उपभोक्ता, व्यापारी संस्थान आदि को किया जा सकेगा।
2. अवरोध मूल्य के ऊपर समय-समय पर नियमानुसार समस्त करों की वसूली भी यथावत की जाएगी।
3. नीलाम के लिये निर्धारित तिथि को नीलाम (ई-नीलाम / भौतिक नीलाम) समाप्ति की घोषणा के तत्काल पश्चात् आगामी नीलाम तिथि (ई-नीलाम / भौतिक नीलाम) के 10 दिन पूर्व तक अवरोध मूल्य पर लॉट की सीधी बिक्री की व्यवस्था रहेगी। इसके पश्चात आगामी नीलाम तिथि तक यह व्यवस्था स्थगित रहेगी।
4. कोई भी इच्छुक क्रेता वनमंडल कार्यालय में अथवा संबंधित काष्ठागार कार्यालय में अवरोध मूल्य पर लकड़ी के लॉट क्रय हेतु प्रत्येक काष्ठागार में सीधी बिक्री हेतु उपलब्ध लॉटों की सूची एवं उसका अवरोध मूल्य कार्यालयीन समय में देख सकता है। काष्ठागार में ऐसे लॉट के निरीक्षण की सुविधा कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगी।
5. क्रेता जिस लॉट को क्रय करना चाहता है, उसका सम्पूर्ण क्रय मूल्य निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के अनुसार जमा करते हुए वनमंडल कार्यालय में आवेदन देना होगा। उक्त आवेदन पर वन मंडलाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप वनमण्डल अधिकारी / सहायक वन संरक्षक) प्रथम आवे प्रथम पावे के सिद्धान्त पर लॉट की विक्रय स्वीकृति एवं कार्य आदेश एक साथ जारी कर देगा। यह आदेश यथासंभव उसी दिन अथवा असामान्य परिस्थिति में अगले दिन जारी किया जावेगा। इस आदेश के आधार पर क्रेता काष्ठागार में जाकर लकड़ी उठा सकेगा। किसी भी नीलाम में जो इमारती काष्ठ निर्वर्तित हो

जाती है उनको मटेरियल लिस्ट से हटाया जाकर शेष इमारती काष्ठ को सीधे विक्रय के लिये उपलब्ध रखा जाएगा। अगले नीलाम (ई–नीलाम/भौतिक नीलाम) के 6 दिन पहले मटेरियल लिस्ट तैयार होगी, जिसमें नीलाम से 10 दिन पहले तक अविक्रित समस्त लॉट आगामी नीलाम (ई–नीलाम/भौतिक नीलाम) में प्रस्तावित होंगे।

6. डिपो से इमारती काष्ठ की सीधी बिक्री में अवरोध मूल्य पर सीधी विक्री से विक्रय किये गये लॉटों पर डिपो विक्रय की समस्त शर्तें (शर्त क्रमांक 1(a), (b) एवं 2(a) एवं 2(b) तक को छोड़कर) लागू होगी। प्रत्येक डिपो हेतु अवरोध मूल्य पर विक्रय की गई काष्ठ का लेखा जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। इस व्यवस्था अंतर्गत अवरोध मूल्य से तात्पर्य प्रथम नीलाम में वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किसी भी इमारती काष्ठ के लॉट के अवरोध मूल्य से रहेगा। जिसमें किसी प्रकार की कमी करने का अधिकार नहीं रहेगा।

7. उपरोक्त सीधी बिक्री के अंतर्गत इमारती काष्ठ के अधिकतम रू. 4 लॉख मूल्य तक के लॉटों का निर्वर्तन किया जा सकेगा। इससे अधिक मूल्य के लॉटों को नीलाम के माध्यम से निर्वर्तन किया जाएगा।

8. यह व्यवस्था दिनांक 01.05.2025 से प्रारंभ की जाएगी तथा आगामी आदेश तक जारी रहेगी। दिनांक 01.05.2025 से पूर्व के समस्त नीलामी (ई–नीलाम/भौतिक नीलाम) की अविक्रित इमारती काष्ठ हेतु भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। समस्त वन संरक्षक तथा उनके अधीनस्थ वन मंडलाधिकारी उपरोक्त सुविधा का प्रचार–प्रसार करे।

28/4/25

(एच. यू. खान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/2025/1381

भोपाल, दिनांक 28/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनाथ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल